HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Revision Petition No. 219/2023

Sugna Bai Wife Of Shri Jagdish Prasad,

----Petitioner

Versus

Pandit Jaywantrav Son Of Purshottam Rav,

----Respondent

Connected With

S.B. Civil Revision Petition No. 150/2023

Mangesh S/o Late Manak Rao,

----Petitioner

Versus

Pt. Jayvant Rao S/o Purshottam Rao,

----Respondent

S.B. Civil Revision Petition No. 245/2023

Bharat Soni S/o Shri Rambabu Soni,

----Petitioner

Versus

Pandit Jaywantrav Son Of Purushottam Rav,

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Abhishek Bhardwaj, Adv. Mr. Ranvijay Singh, Adv. for Mr. Siddharth Bapna, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Mahesh Gupta, Adv. with Mr. Pranjal Chopra, Adv. Ms. Priyanshi Katta, Adv. Ms. Komal Suthar, Adv. Mr. Brij Mohan Malav, Adv. Mr. Ashwani Kumar Chobisa, Adv. Mr. Hemant Malav, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

17/11/2025

S.B. Civil Revision Petition No. 150/2023:-

आई.ए. 1/25 आदेश 22 नियम 4 के तहत प्रस्तुत हुआ है, परंतु वस्तुतः यह आवेदन आदेश 22 नियम 3 के तहत है। इस आवेदन के साथ धारा 5

परिसीमा अधिनियम के तहत एक अन्य **आवेदन 2/25** प्रस्तुत कर विलम्ब माफ किये जाने का निवेदन किया तथा **आई.ए. 3/25** आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. के तहत मृतक मंगेश की बहन मंगला द्वारा विधिक प्रतिनिधि के रूप में अभिलेख पर लिये जाने का निवेदन किया।

चूंकि तीनों आवेदन एक–दूसरे से संबंधित हैं, अतः सुविधा की दृष्टि से इनका एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

याची मंगेश की मृत्यु होने से आई.ए. 1/25 के माध्यम से श्रीमती लक्ष्मी पंडित द्वारा मंगेश की पत्नी होना बताते हुए उसे विधिक प्रतिनिधि के रूप में अभिलेख पर लिये जाने का निवेदन किया तथा वहीं आई.ए. 3/25 के माध्यम से श्रीमती मंगला द्वारा मंगेश की बहन होना बताते हुए विधिक प्रतिनिधि के रूप में अभिलेख पर लिये जाने का निवेदन किया गया।

श्रीमती मंगला मंगेश की बहन है, इस संबंध में विवाद नहीं है लेकिन श्रीमती लक्ष्मी पंडित मंगेश की पत्नी है अथवा नहीं, इस संबंध में दोनों पक्षों में विवाद है।

S. B. Civil Writ Petition No. 12709/2018 में श्रीमती लक्ष्मी पंडित के द्वारा मंगेश की पत्नी के रूप में विधिक प्रतिनिधि की हैसियत से अभिलेख पर लिये जाने का निवेदन किया गया था लेकिन पत्नी होने के संबंध में कोई ठोस सामग्री नहीं होने से आदेश दिनांक 12.08.2025 के माध्यम से उसका निवेदन अस्वीकार किया गया था।

विद्वान अधिवक्ता वास्ते श्रीमती लक्ष्मी पंडित का निवेदन है कि समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 12.08.2025 के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनौती दी गई थी, अतः युक्तियुक्त समय के लिए इंतजार किया जावे। समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 12.08.2025 को विस्तृत व सकारण आदेश पारित करते हुए मृतक की बहन श्रीमती मंगला को विधिक प्रतिनिधि के रूप में अभिलेख पर लिया है तथा श्रीमती लक्ष्मी पंडित का आवेदन खारिज किया है, अतः उसी अनुरूप आई.ए. 1/25 और 2/25 खारिज करते हुए

आई.ए. 3/25 स्वीकार कर श्रीमती मंगला को याची/प्रार्थी के विधिक प्रतिनिधि के रूप में अभिलेख पर लिया जाता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि S. B. Civil Writ Petition No. 12709/2018 में पारित आदेश दिनांक 12.08.2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपांतरित/अपास्त किया जाता है, तो बदली हुई परिस्थितियों में वर्तमान आदेश को रिकॉल कराने हेतु श्रीमती लक्ष्मी पंडित आवेदन पेश करने हेतु स्वतंत्र होगी।

उपरोक्तानुसार आई.ए. 1/25, 2/25 व 3/25 निस्तारित किये जाते हैं तथा उपरोक्त आदेश की पालना में संशोधित वाद शीर्षक पेश किया जावे।

In S.B. Civil Revision Petition No. 219/2023 & S.B. Civil Revision Petition No. 245/2023:-

उपरोक्त दोनों याचिका में **आई.ए. 1/25** आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत श्रीमती मंगला के द्वारा प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी क्रम–5/5 व 34 मंगेश की मृत्यु हो जाने से उसकी बहन मंगला को विधिक प्रतिनिधि के रूप में अभिलेख पर लेने का निवेदन किया गया।

उचित आधार होने से आवेदन स्वीकार कर निस्तारित किये जाते हैं तथा संशोधित वाद शीर्षक आगामी पेशी से पूर्व प्रस्तुत किया जावे।

तीनों प्रकरण चार सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध किये जावें, तब तक पूर्व पारित अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, प्रभावी रहेगा।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /67-68-69